JALAUN POLICE

दिनांक – 02.08.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तगण को अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण- वादी श्री शिवतार सिंह पुत्र रतीराम नि0 ग्राम धरौन थाना कवरई जनपद महोबा द्वारा थाना कदौरा में तहरीरी सूचना दी गयी कि अभियुक्तगण/ससुरालीजन द्वारा वादी की पुत्री को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर अतिरिक्त दहेज की मांग करना, दहेज की मांग पूरी न होने पर वादी की पुत्री की हत्या कर देना। जिसके संबन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कदौरा में दिनांक 19.03.2024 को मु0अ0सं0 46/2024 (वाद संख्या 129/24) धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट बनाम 1- शिवाकान्त पुत्र धनीराम 2. धनीराम पुत्र स्व0 बिलैया 3. श्रीमती रामवती पत्नी धनीराम निवासीगण ग्राम कुसमरा थाना कदौरा जनपद जालौन के अभियोग पंजीकृत हुआ था। थाना कदौरा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर मान0 न्यायालय भेजा गया था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही एवं विवेचना पूर्ण करते हुये अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 29.05.2024 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 02.08.2025 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा समस्त अभियुक्तगण को दोषी पाते हुये 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 15,000-15,000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।